

## राजस्थान सरकार प्रारूप घः (देखिये नियम 10(4))

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर दौसा- 303303 क्रमांक आराहबी(मू०२००)(३)2013/ \ 68 ( दिनांक: 8 -3.2013

## -ः पुनशीक्षत संपरिवर्तन आवेश :--

आवेदक भी प्रहलाद कुमार शर्मा पुत्र भी राधाकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी पाखर तहसील महवा जिला दौसा के आवेदन पर, पहले से कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित 1800 वर्गमीटर कृषि भूमि का राजस्थान मू-राजस्व(प्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम –2007 के नियम 10(4) के अधीन इसके द्वारा पुनरीकित अकृषिक (संस्थानिक) प्रयोजन एवं इसके अतिरिक्त 2200 वर्गमीटर भूमि का कृषि से

एवं इसके आतारका 2200 वर्गमोटर भूगि का कृषि है, जिसकी विशिष्टियां निम्मानुसार है :- श्री प्रहलाद कुमार शर्मा पुत्र श्री रावाकृष्ण जाति बाहुमण निवासी पाखर तहसील महवा जिला दौसा
नहीं
प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार गहवा के आदेश कर्माक आरए/03/1207-11 दिनांक 3.11.2003 के द्वारा ख.र्न. 133/2 स्कबा 0.12 हैं0 में से 0.06 हैं0 तथा खसरा गम्बर 134 स्कबा 0.39 हैं0 में से 0.13 हैं0 कुल किया 2 स्कबा 0.19 हैं0 = 1900 वर्गमीटर मूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की गई थी।
संस्थानिक (institutional-purpose) प्रयोजनार्थ।
याम समगढ, याम पंचायत समगढ तहसील महवा
जसरा नं0 133/1240 रकबा 0.12 है0 एवं खसरा नम्बर 134 रकबा 0.39 है0 युल किता 2 रकबा 0.51 है0 = 6100 वर्गमीटर
खसरा नं0 133/1240 रकबा 0.12 है0 में से 0.09 है0 एवं खसरा नम्बर 134 रकबा 0.39 है0 में से 0.33 है0 कूल किता 2 रकबा 0.51 है0 में से 0.41 है0 = 4100 वर्गनीटर
नयशा ट्रेस की प्रति संलग्न है
1/-स. प्रति धर्गगीटर से 1900/- २००
चालान सं0 181-82 दिनांक 31.10.03 हारा 1900/-स्र
4100 व.मी. का संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजनार्थ रूपांतरण शुल्वा डीएलसी यर का 10 प्रतिशत से 30.36 अंठ प्रतिथर्गमीटर की दर से 124476/—रूपये तथा निर्माणशुदा मूनाग 500 व.मी. की शास्ति शशि 60720/— मुल 185196/—रूपये
1. मद 0029 मू-राजस्य : - वालान मं. दिनांक शक्ति स्वयं T.V. No. 15352 11.10.2012 16000-00 331 22.2.2013 108476-00 2. मद पी.डी.ए. में :

<ol> <li>चालान सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम :</li> </ol>	णमा कराई गई शास्ति चालान संख्या विनांक 331 22.2.2013	राशि 60720
<ol> <li>चालान की सं. तथा तारीख सिंहत ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम :</li> </ol>	-	

(12) अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो :-

 प्रार्थी स्वयं संबंधित ग्राम पंचायत से संबंधित अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत मानचित्र अनुमोदित करवायेगा।

2. प्रस्तावित भूमि एस.एम.-35 महया-अलवर से जाने बाली कमासपुत्र रोख से 160 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा पहुंच मार्ग कमालपुर रोड से गैवसुक सारता में होकर के विकल इण्डियन रोड

कांग्रेस के नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।

 आवेवक को राजस्व(मुप-6)विमाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपन्न क्रमांक प-6(6)राज-6/92-पार्ट/23 दिनांक 17.7.2007 के अनुसार कुल संपरिवर्तन क्षेत्र का 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिये छोठना होगा तथा पानी. विजली की आधारमूत सुविधाओं की स्ययं के खर्षे पर व्यवस्था करनी होगी।

 राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्मारित किया जावेगा अथवा संपरिवर्तन शुल्क के निर्धारण या गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिये सदैव बाध्य रहेगा।

 राजस्व विमाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, उनकी पालना की जावेगी।

(13) उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यवीन होगा :-

उपर्युक्त अळूषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व

अनुजा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।

2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विकल रहता है तो अनुवा प्रत्याहत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया ग्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।

रा किया प्राचेगा। संस्कृतिक (institutional purpose) प्रयोजन के लिए संपारधारत गून के क्या प्राप्त किये दिना ्किसेन्छित्विक प्रयोजन के लिए संपर्योग विडित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुशा प्राप्त किये दिना नहीं क्या जावेगा। एक (Institutional purpose) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग को अन्य

> जिला केलक्टर,दौसा (विहित प्राधिकृत अधिकारी) दिनांकः 🞖 ८ . 3.2013

帝ppp 徐 क्रमाफ:= आर18बी(भू०७०)(3)2013/ 1682-1689 प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त महोदय, प्रयपुर संमाग प्राथपुर।

2. उपखण्ड अधिकारी, महमा।

3. प्रभारी अधिकारी,पाजस्य लेखा कलेक्ट्रेट दौसा।

तहसीलदार, महया को मय नक्ता ट्रेस के रिकार्ट में अमलदरामद हैत।

सरपंच ग्राम पंचावत रामगढ पंचावत समिति महवा।

पटवारी हक्का रामगढ तहसील महवा।

-आर्यदक श्री प्रष्ठलाय सुमार शर्मा पुत्र श्री राजाकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी पाखर तहसील महवा जिला दौसा।

गाउँ फाईल।

जिला कलक्टर,

Market Clark and Market And Strategy

मापु - रामा तम्मील - म्ह्या मिला - मेहा सेना - मण्ड पेमाम = 1 1 = 40 मीट रानेप 253 13-12-12 41 -12-12 41 -12-12 नक्षा (प्राप्त

## कार्यालय जिला कलक्टर, दौसा

4

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः आराधनी(मूठक०)(३)2013/1681—1689 दिनांछ ४.3.2013 के द्वारा, धान रामगढ तहसील महवा स्थित निजी खातेवारी मूमि खत्तर नम्पर 133/1240 रवाबा 0.12 हैं0 में से आवासीय 0.06 हैं0 तथा कृषि मूमि 0.03 हैं0 एवं व्यसरा नम्बर 134 रवाबा 0.39 हैं0 में से आवासीय 0.13 हैं0 तथा कृषि मूमि 0.19 हैं0 प्रयोधनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 को अन्तर्गत संस्थानिक (Institutional Purpose) प्रयोधनार्थ आदेश्व भी प्रकार प्रयाम प्रत भी राधाकृष्य जाति ब्राहमण निवासी प्रसार तहसील महवा जिला दीसा को प्रवा में स्थानतरण क्रिया

- LEHOYS

अतिए जिला कलवटर दीसा